न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 02/2022/अपील भरण पोषण

1. गोपाल सिंह दत्तक पुत्र तुलसाराम पुत्र नारायण
2. श्रीमती रेशमी देवी पत्नी गोपाल सिंह
   समस्त जाति जाट, निवासीगण शहीद जे.पी.नगर, खींवासर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुभाषचन्द पुत्र श्री गोपालसिंह
2. इन्द्रा देवी पत्नी सुभाषचन्द
3. हर्षित पुत्र सुभाषचन्द
   समस्त जाति जाट, निवासीगण शहीद जे.पी.नगर, खींवासर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः—

1. श्री हरीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री हेतराम मील, अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से।

अपील अर्न्तगत धारा 16 माता पिता एवम् वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवम् कल्याण अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.04.2022 द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ जिला सीकर प्रकरण संख्या 36/2018 उनवानी गोपालसिंह आदि बनाम सुभाषचन्द आदि

निर्णय

दिनांकः 23 जुलाई, 2024

1. अपीलांट **गोपाल सिंह** की ओर से यह अपील वकील **श्री हरीश कुमार शर्मा** द्वारा अर्न्तगत धारा 16 माता पिता एवम् वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवम् कल्याण अधिनियम न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ़ के प्रकरण संख्या 26/2018 बउनवानी गोपालसिंह आदि बनाम सुभाषचन्द आदि में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि:—

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(1) अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के समक्ष इस आशय का परिवाद पत्र अर्न्तगत धारा 5 माता पिता एवम् वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम में पेश किया कि अपीलार्थी 75 वर्षीय एवम् 65 वर्षीय बुजुर्ग बीमार असहाय हैं जो आपस में पति पत्नी है तथा रेस्पो. अपीलार्थीगण के पुत्र, पुत्रवधु व पौत्र हैं। अपीलार्थीगण एवम् रेस्पोडेन्ट्स उपरोक्त एक ही पते पर रहते हैं। रेस्पोडेन्ट्स गुस्सेल, जिद्दी एवम् झगड़ालू हैं। अपीलार्थीगण जो काफी बुजुर्ग है तथा अक्सर बीमार रहते हैं तथा काफी वृद्ध अवस्था में होने के कारण कोई भी काम करने में पूरी तरह से असमर्थ है तथा अपनी स्वयं की देखभाल करने में भी असमर्थ है। अपीलार्थीगण सीनियर सीटीजन (वरिष्ठ नागरिंक) हैं तथा अपीलार्थीगण ने अपने जीवनकाल में अर्जित समस्त बचत राशि रेस्पोडेन्ट्स एवम् अन्य पुत्र रणवीर सिंह की शिक्षा–दीक्षा, पालन–पोषण, उनको योग्य बनाने, रहने खाने की व्यवस्था बनाने में खर्च कर दी। वर्तमान में अपीलार्थी के पास जीवन यावन करने के लिए कोई साधन नहीं है। अपीलांट के पास अपना व अपनी पत्नी का भरण पोषण का खर्चा उठाने के लिए आय का कोई जरिया है। जिससे अपीलार्थीगण को उपेक्षापूर्ण जीवन यावन करने को मजबूर होना पड़ रहा हैं। अपीलार्थीगण का एक पुत्र रणवीर सिंह है, जो अविवाहित है, उसके द्वारा अपीलार्थीगण को कुछ सहारा दिया जा रहा है। रणवीर सिंह के पास आय का कोई जरिया नही है उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है।

(2) अपीलार्थीगण के नाम पैतृक कृषि भूमियां है जिसकी बुवाई जुताई रेस्पोडेन्ट ही करते हैं तथा कृषि की समस्त आय भी रेस्पोडेन्ट के पास ही रहती है। रेस्पोडेन्ट कृषि भूमियों को अपने नाम करने की काफी धमकियां देता है तथा सन् 2014 में अपने नाम करवाने के लिए अपीलार्थीगण के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया था। सन् 2014 से 2017 तक मजबूरीवश सीकर किराये के मकान में रहे तथा अपीलार्थीगण के कमर दर्द होने तथा टीबी की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इलाज करवाना पड़ रहा है तथा अपीलार्थी संख्या 2 की आंखे खराब हो चुकी है व रीढ की हड्डी में फ्रेक्चर होने से ऑपरेशन करवाना पड़ा। अपीलार्थीगण की स्थिति काफी दयनीय हो जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.04.2022 के द्वारा खारिज कर दिया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.04.2022 पारित करने से पूर्व पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई अवलोकन नहीं कर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.04.2022 पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

अपीलार्थीगण के पास आय का कोई साधन नहीं है तथा वृद्धावस्था व बीमारी के इलाज के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलार्थी को वृद्धावस्था पेंशन मिलने का हवाला दिया है। आज के इस मंहगाई के दौर में मात्र वृद्धावस्था पेंशन की राशि से भरण पोषण व दवाई आदि का खर्चा चलाया जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। अपीलार्थी द्वारा खेत को बंटाई पर दिये जाने का कथन भी गलत अंकित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि बंटाई पर खेत किसको दिया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि खेत की जुताई बुवाई निराई कमाई रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ही की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट जो एक पढा लिखा नौजवान है तथा प्राईवेट शिक्षण संस्थान में शारीरिक शिक्षक एवं हॉस्टल के वार्डन के रूप में कार्य कर रू. 35000/– मासिक आय अर्जित कर रहा है तथा खेती व पशुपालन से प्रतिमाह लगभग रू. 20000/– की आय अर्जित कर रहा है। रेस्पोडेन्ट अपीलांट्स का पुत्र होने के कारण अपने माता पिता की देखभाल एवं भरण पोषण चिकित्सा आदि की अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकता है। उसका नैतिक दायित्व है कि अपने वृद्ध व बीमार माता पिता का भरण पोषण चिकित्सा आदि की व्यवस्था करे। लेकिन वह अपने दायित्वों से बचना चाह रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को अनदेखा कर चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञा दिनांकित 07.04.2022 पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नही किया कि अपीलार्थीगण जो कि रेस्पोडेन्ट् के वृद्ध माता पिता है तथा उनके खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि का उपयोग व उपभोग रेस्पोडेन्ट्स ही कर रहे है अपीलार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि से आय अर्जित की जा रही है तथा चल व अचल सम्पति पर काबिज है तथा अपने निर्णय में तहसीलदार की अधूरी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि उक्त खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग किसके द्वारा किया जाता है कोई विवरण नहीं है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांकित 07.04.2022 पारित करने से पूर्व इस तथ्य का गलत विवेचन किया कि दूसरे पुत्र रणवीर पर दावा नहीं किया। जबकि उक्त निर्णय होने से पूर्व रणवीर अपीलार्थीगण की कुछ आर्थिक मदद करता था अब निर्णय होने के बाद रणवीर ने भी मदद करना बन्द कर दिया तथा विधिक प्रक्रिया से रणवीर के विरूद्ध दावा करने के लिए अपीलार्थीगण स्वतंत्र है। यदि न्यायालय रणवीर को भी पक्षकार बनाकर अपीलार्थीगण व रणवीर के विरूद्ध निर्णय पारित किया जाता है तो अपीलार्थीगण को कोई

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)
कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

आपत्ति व एतराज नही है तथा अपीलार्थीगण के साथ साजिश कर पूर्व में तो रणवीर आर्थिक मदद करता रहा तथा निर्णय पारित होते ही दोनों भाईयों ने अपीलार्थीगण को बेसहारा छोड दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पीड़ित माता पिता के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।

(6) अतः अपीलार्थीगण की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण द्वारा पेश किये गये आवेदन के अनुसार अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्टस से भरण पोषण चिकित्सा आदि हेतु राशि दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पो. की ओर से वकील श्री हेतराम मील उपस्थित हुए।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलार्थीगण वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि काफी वृद्ध हैं एवं अक्सर काफी बीमार रहते हैं। अपीलार्थीगण के दो पुत्र हैं। एक बेटा रणवीर अविवाहित है जो कि अपीलार्थीगण के साथ रहता है तथा दूसरा बेटा रेस्पो. सं. 1 सुभाष है जो अपीलार्थीगण के साथ मारपीट एवं गाली गलौच करता रहता है। रेस्पो. ने अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज समस्त कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा है एवं कृषि से हुई समस्त आय भी वह स्वयं ही रखता है। अपीलार्थीगणों का ख्याल नहीं रखता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.04.2022 अपास्त किया जावे।

वकील रेस्पो. ने कथन किया कि अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमियों में से 4.19 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थीगणों ने KCC का लोन ले रखा है। रेस्पो सिर्फ 1/3 हिस्सा की जोत करता है। शेष 1/3 हिस्सा अपीलार्थीगण ने ले रखा है तथा 1/3 हिस्सा पुत्र रणवीर के पास है, जिस पर अपीलांट एवं उनका पुत्र रणवीर कब्जे काश्त कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी में अपीलार्थीगणों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि, सम्पूर्ण जमीन को अपीलार्थीगण ही जोत रहे हैं और लोगों को बंटाई पर दे रखा है। सम्पूर्ण 5.53 हैक्टेयर कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण व रणवीर का ही कब्जा काश्त है। दोनों

कपूर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

अपीलार्थीगण सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क इजाज की सुविधा भी प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी रेस्पों. अपीलार्थीगणों को अपने साथ रखने एवं उनकी सेवा सुश्रुषा करने के लिए भी तैयार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5. हमने योग्य अभिभाषकों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर स्पष्ट है कि,

(1) अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में कुल 5.53 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा KCC का लोन ले रखा है। अपीलार्थीगण एवं पुत्र रणवीर कुल 2/3 हिस्से पर कब्जे काश्त हैं, जिससे स्वयं एवं बंटाई के आधार पर कृषि कार्य करते हुए आय प्राप्त कर रहे हैं। जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट हल्का पटवारी से साबित होता है।

(2) अपीलांट द्वारा एक ही पुत्र को पक्षकार बनाया गया है जबकि उसका दूसरा पुत्र भी निजी शिक्षण संस्थान में कार्यरत है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़ का आदेश दिनांक 07.04.2022 यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक **23 जुलाई, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर